UPMP010022882026

Presented on : 22-05-2026
Registered on : 27-05-2026
Decided on : 19-08-2026
Duration : 0 years, 2 months, 28 days

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी(पी.ए.)एक्ट, मैनपुरी,

Presided Over by JAY PRAKASH

फौजदारी निगरानी संख्या 83/2026

अशोक कुमार पुत्र श्री रामसिंह प्रबन्धक किरन सौजिया सीनियर सेकेन्डरी एजूकेशन एकडमी निवासी अशोक नगर कुरावली रोड़ मैनपुरी थाना कोतवाली, जिला मैनपुरी,

.....निगरानीकर्ता/परिवादी,

बनाम

1–उत्तर प्रदेश राज्य,

2–अरूण कुमार पुत्र तुलसीराम निवासी वार्ड नं०–6 कस्बा कुसमरा थाना किशनी, जिला मैनपुरी .....विपक्षीगण,

निर्णय

1. यह फौजदारी निगरानी न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं०–1, मैनपुरी द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या 01/2026 अशोक कुमार बनाम अरूण कुमार अंतर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट थाना कोतवाली, जिला मैनपुरी प्रकरण में पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 29.04.2026 के विरूद्ध संस्थित की गयी है। आलोच्य आदेश के माध्यम से विद्वान अवर न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकीर्ण वाद में निगरानीकर्ता /परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र खारिज किया गया है।

2. निगरानी का आधार यह दिया गया है कि निगरानीकर्ता ने एक परिवाद सं० 553 सन् 2024 अशोक कुमार बनाम अरुण कुमार अंतर्गत धारा 138 एन०आई० एक्ट थाना कोतवाली, मैनपुरी माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं० 1, मैनपुरी में दायर किया गया था जिसमें माननीय न्यायालय जे०एम० प्रथम द्वारा दिनांक 04.02.2025 को अभियुक्त अरुण कुमार को एक साल के साधारण कारावास एवं मुव. 44,20,000/–रु० के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया था। माननीय न्यायालय जे०एम० प्रथम द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.02.2025 में अर्थदण्ड की धनराशि परिवादी को दिए जाने का उल्लेख किया गया था। माननीय जे०एम० प्रथम,

Digitally signed by JAY PRAKASH
Date: 2026.08.20 17:05:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Mainpuri

मैनपुरी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.02.2025 के विरुद्ध अभियुक्त अरुण कुमार द्वारा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मैनपुरी के यहाँ एक अपील सं० 11 सन् 2025 अरुण कुमार बनाम अशोक कुमार अंतर्गत धारा 138 एन०आई० एक्ट थाना कोतवाली दायर की गयी थी जिसमें माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, मैनपुरी द्वारा दिनांक 01.03.2025 को सुनवाई करते हुए अभियुक्त को अर्थदण्ड की 20% धनराशि 60 दिन के अन्दर जमा करने हेतु आदेशित किया गया था। माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मैनपुरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.03.2025 के अनुपालन में अभियुक्त द्वारा 20% धनराशि मुव. 8,84,000/–रु० (मुव. आठ लाख चौरासी हजार रुपया) माननीय अवर न्यायालय में जमा करा दी गयी है जिसे परिवादी/निगरानीकर्ता के हक में रिलीज किए जाने हेतु निगरानीकर्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र सं० 10 सन् 2026 अशोक कुमार बनाम अरुण कुमार अंतर्गत धारा 138 एन०आई० एक्ट थाना कोतवाली माननीय न्यायालय जे०एम० प्रथम, मैनपुरी में प्रस्तुत किया गया था। माननीय अवर न्यायालय जे०एम० प्रथम, मैनपुरी द्वारा निगरानीकर्ता/परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र सं० 10 सन् 2026 अशोक कुमार बनाम अरुण कुमार अंतर्गत धारा 138 एन०आई० एक्ट थाना कोतवाली को बिना न्यायिक मस्तिष्क प्रयोग किए दिनांक 29.04.2026 को निरस्त कर दिया गया। अभियुक्त द्वारा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत फौजदारी अपील सं० 11 सन् 2025 अरुण कुमार बनाम अशोक कुमार अंतर्गत धारा 138 एन०आई० एक्ट थाना कोतवाली वर्तमान में माननीय न्यायालय एस०सी० /एस०टी० एक्ट, मैनपुरी में विचाराधीन है। माननीय अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.04.2026 विधि के विपरीत है। माननीय अवर न्यायालय द्वारा पत्रावली पर मौजूद तथ्यों एवं साक्ष्य का सही परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन करने में त्रुटि की है परिणामस्वरुप न्याय से इन्कार किया गया है। माननीय अवर न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद सं० 10 सन् 2026 के निस्तारण के दौरान परिवाद सं० 563 सन् 2024 अशोक कुमार बनाम अरुण कुमार अंतर्गत धारा 138 एन०आई० एक्ट थाना कोतवाली में पारित निर्णय दिनांक 04.02 2025 का न्यायिक दृष्टि से अवलोकन नहीं किया गया है और न ही विधिक दृष्टिकोण से पत्रावली का अवलोकन किया है परिणामस्वरुप निगरानीकर्ता को समुचित न्याय की आशा क्षीण हो गयी है। माननीय अवर न्यायालय द्वारा परिवाद सं० 663 सन् 2024 में पारित निर्णय दिनांक 04.02.2026 में स्वयं अर्थदण्ड़ की धनराशि परिवादी को अदा किया जाने का कथन किया गया है। माननीय अवर न्यायालय द्वारा विधि के इस महत्वपूर्ण तथ्य का सही ढंग से मूल्यांकन करने में त्रुटि कारित की है। अभियुक्त द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा फौजदारी अपील सं० 11 सन् 2026 अरुण कुमार बनाम अशोक कुमार अं०धारा 138 एन०आई० एक्ट

थाना कोतवाली में पारित आदेश दिनांक 01.03.2025 का कानूनी सादृश्य अनुसार अवलोकन नहीं किया गया है तथा आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों का विधि अनुसार सही मूल्यांकन नहीं किया गया है परिणामस्वरुप आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों को न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार निपटाने में त्रुटि कारित की है। माननीय अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश पुनरीक्षणाधीन है इसलिए इसे यथावत रहने देने से न्याय में विफलता होगी तथा निगरानीकर्ता को अपूर्णनीय क्षति कारित होगी। पुनरीक्षणाधीन आदेश दिनांक 04.02.2025 विधिक दृष्टि से एवं तथ्यात्मक रुप से गलत एवं विधि विपरीत है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत वर्तमान फौजदारी निगरानी स्वीकार की जावे तथा माननीय अवर न्यायालय के अभिलेख को मँगाया जाकर एवं उसका अवलोकन कर, माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, मैनपुरी द्वारा प्रकीर्ण वाद सं० 10 सन् 2026 अशोक कुमार बनाम अरुण कुमार अंतर्गत धारा 138 एन०आई० एक्ट थाना कोतवाली में पारित आदेश दिनांक 29.04.2026 रद्द कर अभियुक्त द्वारा जमा अर्थदण्ड की धनराशि मुव . 8,84,000/–रु० (मुव. आठ लाख चौरासी हजार रुपया) निगरानीकर्ता/परिवादी के हक में रिलीज किए जाने के आदेश पारित किए जाने की याचना की गयी। समर्थन में शपथपत्र, फर्द सबूत से एक किता आदेश दिनांकि 29.04.2026 न्यायालय जे०एम० प्रथम, मैनपुरी, छायाप्रति नकल आदेश दिनांक 01.03.2025 अपील संख्या 11/2025 अरूण कुमार बनाम अशोक कुमार, छायाप्रति नकल निर्णय दिनांक 04.02.2025 अशोक कुमार बनाम अरूण कुमार धारा 138 एन.आई.एक्ट न्यायालय जे०एम० प्रथम, मैनपुरी, एक किता छायाप्रति प्रार्थनापत्र रिलीज दिनांक 05.12.2025 दाखिल की गयी है।

3. संक्षेप में प्रकरण के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता /परिवादी द्वारा अभियुक्त अरूण कुमार के विरूद्ध एक परिवाद संख्या 533/2024 अशोक कुमार बनाम अरूण कुमार अंतर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट थाना कोतवाली, जिला मैनपुरी अवर न्यायालय में संस्थित किया गया था। जिसमें अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 04.02.2025 को अभियुक्त को एक साल का साधारण कारावास एवं मुव. 44,20,000/– रू० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था जिसकी अपील संख्या 11/2025 अरूण कुमार बनाम अशोक कुमार सत्र न्यायालय में विचाराधीन है। अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील की सुनवाई करते हुए अभियुक्त को अर्थदण्ड की 20 प्रतिशत धनराशि जमा करने हेतु आदेशित किया गया था। अभियुक्त द्वारा अपीलीय न्यायालय के आदेश दिनांक 01.03.2025 के अनुपालन में दिनांक 10.03.2025 को मुव. 3,00,000/– रू० (तीन लाख रूपये) एवं दिनांक 04.04.2025 को मुव. 1,50,000/– रू० (एक लाख पचास हजार रूपये) एवं दिनांक 08.09.2025 को मुव. 4,34,000/– रू०

(चार लाख चौतीस हजार रूपये) कुल मुव. 8,84,000/– रू० (आठ लाख चौरासी हजार रूपये) जरिये चालान न्यायालय में जमा किया गया था। उक्त प्रकरण में अभियुक्त द्वारा न्यायालय में जमा अर्थदण्ड की धनराशि मुव. 8,84,000/– रू० (आठ लाख चौरासी हजार रूपये) निगरानीकर्त/परिवादी के हक में रिलीज किये जाने हेतु एक प्रार्थनापत्र सं० 10 सन् 2026 अशोक कुमार बनाम अरुण कुमार अंतर्गत धारा 138 एन०आई० एक्ट थाना कोतवाली, जिला मैनपुरी प्रस्तुत किया गया था। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा सुनवाई के पश्चात निगरानीगर्ता/परिवादी का उपरोक्त प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया गया, जिससे क्षुब्ध होकर यह निगरानी योजित की गयी है।

4.प्रस्तुत निगरानी जिस प्रश्नगत आदेश के खिलाफ दाखिल की गयी थी उस आदेश की अपील इसी न्यायालय द्वारा दिनांक 14.08.2026 को निस्तारित कर दी गयी है। अतः प्रश्नगत आदेश के विरूद्ध निगरानी उद्देश्यहीन हो चुकी है। इस निगरानी आदेश में केवल प्रश्नगत आदेश की विधिक त्रुटि की जॉच की जा रही है।

5.विद्वान अवर न्यायालय के प्रश्नगत आदेश दिनांकित 29.04.2026 के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह आदेश एक एन०आई०एक्ट की अपील में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार विद्वान अवर न्यायालय के आदेश में अधिरोपित अर्थदण्ड की 20 प्रतिशत धनराशि को जमा करने से संबंधित है। एन०आई०एक्ट का कोई भी परिवाद और अपील एक वित्तीय मामले का परिवाद और अपील होती है जिसमें पक्षकारों के मध्य वित्तीय लेन–देन होता है। जब परिवादी के पक्ष में धारा 138 एन०आई०एक्ट के अंतर्गत चैक में मौजूद रकम और कम्पसेशन (Compensation) का एक आदेश हो जाता है तो परिवादी का अधिकार होता है कि वह जल्द से जल्द न्यायालय के आदेश के अंतर्गत अपनी रकम को प्राप्त करें। इसी सिद्धान्त की वजह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था और वर्तमान समय में प्रचलित विधि के अनुसार अभियुक्त द्वारा निर्णय में मौजूद अर्थदण्ड की 20 प्रतिशत धनराशि जमा किया जाता है और इसी निर्णय और धारा 138 एन०आई०एक्ट की अपील के अंतर्गत अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड की 20 प्रतिशत धनराशि अपीलीय न्यायालय के आदेश से जमा किया गया था और इस 20 प्रतिशत रकम का अधिकार परिवादी का होता है। अतः विद्वान अवर न्यायालय ने परिवादी के पक्ष में, अभियुक्त की तरफ से अर्थदण्ड की जमा की गयी 20 प्रतिशत धनराशि जारी न करके एक विधिक त्रुटि की है। ऐसी दशा में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 29.04.2026 विधि सम्मत न होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त की अपील इस न्यायालय द्वारा दिनांक 14.08.2026 को खारिज की जा चुकी है

और विद्वान अवर न्यायालय का आदेश दिनांकित 04.02.2025 सम्पुष्ट किया किया जा चुका है। अवर न्यायालय का दायित्व है कि प्रश्नगत आदेश दिनांकित 04.02.2025 का अनुपालन विधि अनुसार शीघ्रताशीघ्र किया जाना सुनिश्चित करें। तदनुसार निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत यह दाण्डिक निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

निगरानीकर्ता अशोक कुमार द्वारा प्रस्तुत यह दाण्डिक निगरानी संख्या 83/2026 अशोक कुमार बनाम राज्य व एक अन्य, स्वीकार की जाती है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 29.04.2026 अपास्त किया जाता है। विद्वान अवर न्यायालय को आदेश दिया जाता है कि वह उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में विधि अनुसार पुनः आदेश पारित करें। विद्वान अवर न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापस भेजी जावे। पक्षकार विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष दिनाँक 31.08.2026 को उपस्थित हों।

दिनॉकः 19.08.2026,

(जय प्रकाश)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
एस.सी./एस.टी.(पी.ए.)एक्ट, मैनपुरी।

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनॉकित करके सुनाया गया।

दिनॉकः 19.08.2026,

(जय प्रकाश)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
एस.सी./एस.टी.(पी.ए.)एक्ट, मैनपुरी।

ORDER TYPED BY–SANTOSH KUMAR VERMA (STENO)